

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 23.01.2023 को जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- 1-मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर (सदस्य)
- 2-प्रभागीय निदेशक एवं वनीकी प्रभाग सहारनपुर अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य। (सदस्य)
- 3-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 4-जिला विकास अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 5-जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 6-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 7-जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 8-अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर सहारनपुर। (सदस्य)
- 9-अधिशाली अभियन्ता, वाटर रिसोर्सेज/सिंचाई सहारनपुर। (सदस्य)
- 10-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, सहारनपुर। (सदस्य)

डी०पी०आर० विरचन:-

श्री अमित कुमार, अधिशाली अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 51 /2021 / 1883 / छिहत्तर-1-2021-25सम / 2019 दिनांक 06.08.2021 (पताका-2), शासनादेश संख्या 2729/2021/2650/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 28.09.2021 (पताका-3) एवं शासनादेश संख्या 53/2021/2774/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 05.10.2021 (पताका-4) द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स एवं के अनुसार 30 नग योजनाओं की डी०पी०आर० तैयार कर नामित फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, जो शासनादेश द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार अर्ह पायी गयी है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सेन्टेज तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेन्टेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष के Operation and Maintenance हेतु व्यय का भी प्राविधान किया गया है।

शासनादेश संख्या 51 /2021/1883/ छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 (पताका-2) नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, दिनांक 06.08.2021 के अनुसार रु० 5.00 करोड से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा एवं रु० 5.00 करोड से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी हैं। डी०पी०आर० विरचन की कार्यवाही पूर्व में निर्गत गाइड लाइन एवं SLSSC कार्यवृत्त में संशोधित गाइड लाइन के निम्नानुसार की गयी है।

1-Population Projection हेतु आधार वर्ष 2022, मध्य वर्ष 2037 और डिजाइन वर्ष 2052 रखा जाये। विभिन्न Population Projection method के आधार पर सर्वोत्तम एवं उचित जनसंख्या का चयन किया जाये, जिसमें

वर्तमान में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के कार्यवृत्त के अनुसार जनसंख्यावृद्धि अधिकतम 60 प्रतिशत ली जाये।

2- मध्य वर्ष (2037) के आधार पर वाटर डिमान्ड की गणना करते हुए नलकूप और पम्पिंग प्लान्ट के डिजाइन किया जाये।

3-अवर जलाशय की क्षमता की गणना मध्य वर्ष (2037) पर Draw off/ Mass balancing के पैटर्न पर की जाये।

4-सामान्यतः सोलर आधारित योजनायें निर्मित की जाये, जिस हेतु पम्पिंग Hours 6.5 घंटा लिया जाये।

5-वितरण प्रणाली में न्यूनतम एच0डी0पी0ई0 पाइप का व्यास 63 एमएम एवं अधिकतम एच0डी0पी0ई0 पाइप का व्यास

200 एम0एम0 लिया जाये। 200 एम0एम0 व्यास से अधिक हेतु डी0आई0 पाइप का प्रयोग किया जाये।

6-वितरण प्रणाली की लागत 15 लाख प्रति कि0मी0 के आधार पर ली जाये।

7-वितरण प्रणाली के डिजाइन हेतु न्यूनतम टर्मिनल प्रेशर 7.0 मी0 रखा जाये।

8-वाटर डिमान्ड की गणना (55 LPCD+15% unaccounted water) के आधार पर की जाये।

9-रोड कटिंग की पुर्नस्थापना की लागत 50 प्रतिशत अधिकतम ली जाये।

10-पम्पिंग हैड की अधिकतम सीमा 60 मी0 ली जाये।

11-योजनाओं में एकल ग्राम योजनाएं (SVS) की प्रति FHTC लागत 35000, एकल ग्राम योजनाएं (SVS) जिनमें

Multi Habitation है की प्रति FHTC लागत 55000, ग्राम समूह योजनाएं (MVS) की प्रति FHTC लागत 65000 एवं घाड क्षेत्रों की योजनाओं में प्रति FHTC लागत 75000 ली जाये।

12- प्राक्कलन में प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 ली जाये।

13-टयूबवैल की अधिकतम लागत रू0 25.00 लाख ली जाये।

वर्तमान में प्राप्त 30 नग विस्तृत प्राक्कलन में से 28 नग विस्तृत प्राक्कलन रू0 5.00 करोड़ से कम लागत के हैं, जिनका तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त 28 नग विस्तृत प्राक्कलनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, सहारनपुर द्वारा प्रदान की जानी है, तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु इन्हें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जाना है।

28 नग डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है एवं विस्तृत विवरण संलग्नक (पताका-5) के अनुसार है।

फर्म- मै0 गायत्री रेमकी (जे0वी0)

05 करोड़ से कम लागत:-

S. No.	Block	Name of Scheme	Total No. of Rev. Vill.	FHTC (2023)	Work Cost (Rs. in Lakh) (c+d)	Cenatge (Rs. in Lakh)	Estimated Cost (Rs. in Lakh) (e+f)	Design Year (in Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Muzaffrabad	Takipur	3	412	252.94	26.79	279.73	3620
2	Gangoh	Gangoh Mazbata	2	724	434.59	46.03	480.62	6220
Total			5	1136	687.53	72.82	760.35	

[Signature]

फर्म- मै0 एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी0)

05 करोड़ से कम लागत:-

Sl. No.	Block	Name of SCHEME	Total No. of Rev. Vill.	No. of FHTC	Work Cost (Included contingency & GST)(Rs.	Cenatge (Rs. in Lakh)	Estimate d Cost (Rs. in Lakh)	Design Year (in Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SARSAWAN	AGWAN HERA GP WSS	1	740	253.24	26.83	280.07	5952
2	SARSAWAN	AHMADPUR SADAT GP WSS	1	406	141.59	15.00	156.59	5856
3	NANAUTA	BHRIDDIN DARANPUR GP WSS	1	589	262.89	27.85	290.74	4793
4	PUNWARKA	BHAUPURA GP WSS	1	678	234.67	24.86	259.53	5465
5	SARSAWAN	BIRWI GP WSS	1	804	279.88	29.65	309.53	6012
6	GANGO	FATEHPUR DHOLA & ROSHANPUR GP WSS	2	917	406.96	43.11	450.07	5234
7	NANAUTA	KACHARI GP WSS	1	466	162.29	17.19	179.48	5330
8	NAKUR	KHERA AFGAN & BHURI BANS GP WSS	3	481	283.34	30.02	313.36	6967
9	BALIA KHERI	NALHEDA GAZI GP WSS	1	830	289.05	30.62	319.67	5569
10	GANGO	SARAJPUR SAIYAD GP WSS	3	475	263.53	27.92	291.45	6946
11	NAGAL	SHAHPUR GP WSS	1	505	172.96	18.32	191.28	5473
12	PUNWARKA	GADANPURA GP WSS	1	298	148.154	15.694	163.848	6956
13	SARSAWAN	SUCHELA DEVA GP WSS	1	280	139.613	14.79	154.403	6981
14	GANGO	TIDAULUI GP WSS	1	573	285.8	30.275	316.075	6971
15	BALIAKHERI	WAJIDPUR SANI GP WSS	2	443	243.594	25.804	269.398	5511
16	BALIAKHERI	FAKHREDAGP WSS	2	263	170.591	18.071	188.662	6991
17	GANGO	DHAYKI & KANDOL MV GP WSS	3	507	294.02	31.15	325.17	6925

18	NAKUR	FATEHPUR JATT MUST BANS GP WSS	1	658	230.12	24.38	254.5	6002
19	NAKUR	NATHODI GP WSS	1	341	147.95	15.67	163.62	6605
20	MUZAFFRAB AD	SALOONI MV GP WSS	2	417	252.55	26.753	279.303	6996
21	BALIAKHERI	BALIAKHERI GP WSS	1	470	234.515	24.843	259.358	6938
22	BALIAKHERI	BHABHRI GP WSS	1	453	224.72	23.805	248.525	6936
23	SADHAULI KADEEM	MANJHEDI & SHEIKHPURA GP WSS	2	940	405.541	42.96	448.501	4857
24	PUNWARKA	GAGALHEDI GP WSS	1	1579	547.8	58.03	605.83	4258
25	NAKUR	KULHERI GP WSS	1	791	276.3	29.27	305.57	5601
26	SARSAWA	JANDHERA URF KADARGARH & SHEKHPURA MV GP WSS	3	482	261.9	27.74	289.64	5879
Total			39	15386	6613.568	700.605	7314.173	

05 करोड़ से अधिक लागत की 02 नग डी0पी0आर0 की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान किये जाने के उपरान्त विस्तृत प्राक्कलनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संस्तुति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, सहारनपुर द्वारा प्रदान की जानी है जिसके उपरान्त उक्त डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित की जायेगी जिनका शासनादेश संख्या 16/ 2021/ 948/ छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 19.03.2021 (पताका-6) के अनुसार 05 करोड़ से अधिक लागत की डी0पी0आर0 की वैटिंग आई0आई0टी0/एन0आई0ई0टी0/राजकीय विश्वविद्यालय से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु इन्हें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जाना है। 02 नग डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है एवं विस्तृत विवरण संलग्नक (पताका-5) के अनुसार है।

फर्म- मै0 गायत्री रेमकी (जे0वी0)

Sl. No.	Block	Name of SCHEME	Total No. of Rev. VIII.	No. of FHTC	Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Lakh)	Cenatge (Rs. in Lakh)	Estimated Cost (Rs. in Lakh)	Design Year (in Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MUZAFFRABA D	JAYANTIPUR MUST.	2	835	496.65	52.61	549.27	6600
2	MUZAFFRABA D	KOTHD BAHLOLPUR	1	837	527.17	55.84	583.01	6600
TOTAL			3	1672	1023.82	108.45	1132.28	

[Handwritten Signature]

जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 एवं डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	जल जीवन मिशन	डी0पी0आर0 की संख्या	डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्रामों की संख्या
1	सहारनपुर	फेज-2	04	8
2	सहारनपुर	फेज-3	26	39
कुल			30	47

चूंकि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 4260/W-(Gayatri Ramky JV)/2022-23 दिनांक 14.01.2023 द्वारा फर्म मै0 गायत्री रेमकी (जे0वी0) को De-Scope कर दिया गया है। अतः फर्म मै0 गायत्री रेमकी (जे0वी0) की उपरोक्त 04 नग डी0पी0आर0 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा इस प्रतिबन्ध के आधार पर सैद्धान्तिक स्वीकृति/संस्तुति की जाती है कि फर्म मै0 गायत्री रेमकी (जे0वी0) के De-Scope उपरान्त अवशेष ग्रामों की डी0पी0आर0 को जिस फर्म को आवंटित किया जायेगा उस फर्म द्वारा उक्त डी0पी0आर0 को अनुबन्ध की शर्तों के अधीन स्वीकार करते हुए कार्य किया जायेगा।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ट्यूबवैल छिद्रण की RC/DC पद्धति हेतु दरें स्वीकृत हैं, परन्तु घाड़ क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर 60 मी0 पर पाये जाने एवं मिक्स स्ट्रेटा होने के कारण ट्यूबवैल छिद्रण Percussion Rig Machine पद्धति द्वारा किया जाना है, जिसकी स्वीकृत दरें अधिक होने के कारण ट्यूबवैल की लागत 25.00 लाख से अधिक आती है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित योजनाओं में अधिष्ठापित किये गये नलकूपों की गहराई 150 मी0 से अधिक ली गयी है, जिस कारण से हैड 50 मी0 से अधिक आता है। प्रस्तुत 30 नग डी0पी0आर0 में 05 नग डी0पी0आर0 में ट्यूबवैल की लागत 25 लाख से अधिक है, जिसका सत्यापन फर्म द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यान्त्रिक खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) मेरठ से कराते हुए प्रमाण पत्र प्राक्कलन में लगाया गया है। उक्त 05 नग डी0पी0आर0 जिनकी लागत रु0 25.00 लाख से अधिक है को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रसारित करने हेतु सहमति दी जानी है।

05 नग पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 जिनमें वास्तविकता एवं कार्य स्थल के अनुसार ट्यूबवैल की लागत 25.00 लाख से अधिक है का विवरण निम्नानुसार है।

25 लाख से अधिक लागत के ट्यूबवैल :-

फर्म- मै0 गायत्री रेमकी (जे0वी0)

S. No.	Name of Scheme	No. of Tubewells	Cost of T.W. (in Lacs)
1	2	3	4
1	Jyantipur Must.	02	79
2	Takipur	01	40
3	Kothdi Bahlolpur	03	118

pmj

मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी, सहारनपुर।

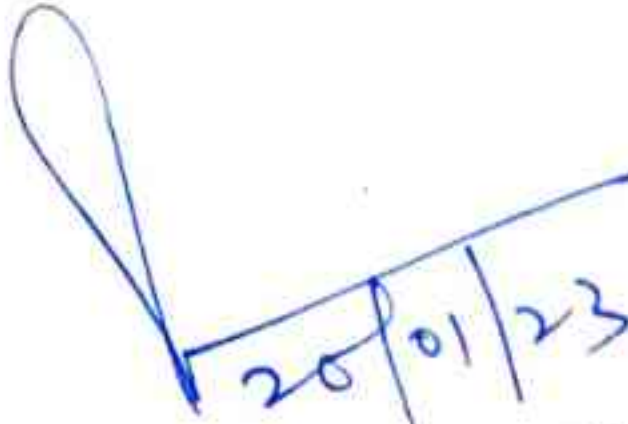
महोदय,

प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021, शासनादेश संख्या 2729/2021/2650/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 28.09.2021 एवं 53/2021/2774/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 05.10.2021 द्वारा निर्गत नवीन गार्ड लाईन के अनुसार 18 नग योजनाओं की डी0पी0आर0 तैयार कर चयनित फर्म मै0 गायत्री रैमकी (जे0वी0), हैदराबाद एवं फर्म मै0 एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी0), नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत की गयी है। उक्त 18 नग डी0पी0आर0 में से 16 नग डी0पी0आर0 की लागत रु0 5.00 करोड़ से कम है तथा 02 नग डी0पी0आर की लागत रु0 5.00 करोड़ से अधिक है। संशोधित शासनादेश के अनुक्रम में तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान किये जाने के उपरान्त 16 नग डी0पी0आर0 (रु0 5.00 करोड़ से कम) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं 02 नग डी0पी0आर (रु0 5 करोड़ से अधिक) की संस्तुति करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ (SWSM) को अग्रसारित की जानी है।

अतः महोदय से पुनः सादर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार 18 नग डी0पी0आर0 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ (SWSM) को अग्रसारित करने हेतु "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) की एक बैठक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित बैठक हेतु एजेण्डा नोट पत्रावली के दाहिनी ओर रक्षित है।

कृपया सहमति की दशा में दिनांक समय एवं स्थान निर्धारित करने की कृपा करें।


20-01-2023
अधिसासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
सहारनपुर।


20/01/23
CDO

23/1
4:00 PM
रज. रमा. क.

42
20/1

25 लाख से अधिक लागत के ट्यूबवैल :-

फर्म- मै0 एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी0)

S. No.	Name of Scheme	No. of Tubewells	Cost of T.W. (in L)
1	2	3	4
1	Salooni MV GP WSS	01	46.49
2	Manjhedi & Shekhpura GP WSS	01	46.25

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा 30 नग योजनाओं की डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं सम्मिलित 05 नग योजनायें जिनकी ट्यूबवैल की लागत रू0 25.00 लाख से अधिक है को अग्रसारित करने हेतु सहमति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय भी लिया गया।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।

जिला विकास अधिकारी,
सहारनपुर
(सदस्य)

प्रभागीय निदेशक,
समाजिक कृषि प्रभाग सहारनपुर
या नामित सदस्य
(सदस्य)

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
सहारनपुर
(सदस्य)

अधिकांसी अभियन्ता
वाटर रिसोर्सेज/सिंचाई, सहारनपुर
सहारनपुर
(सदस्य)

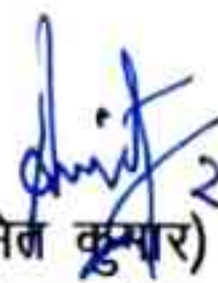
जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
सहारनपुर
(सदस्य)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर
(सदस्य)

जिला कृषि अधिकारी,
सहारनपुर
(सदस्य)

सहायक अभियन्ता
लघु सिंचाई विभाग,
सहारनपुर
(सदस्य)

अधिकांसी अभियन्ता
ग्राउण्ड वाटर/नामित सदस्य
सहारनपुर
(सदस्य)


(अमित कुमार)
अधिकांसी अभियन्ता / (सदस्य सचिव)
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
सहारनपुर

(विजय कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी
सहारनपुर
(सदस्य)

(अखिलेश सिंह)
जिलाधिकारी / (अध्यक्ष)
“जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन”
समिति, सहारनपुर